[redacted]

रा.पु.मु.च./5-99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बीएनएसएस)

बुक नं.

1. जिला.चौकी प्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना. प्र0अ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2026.
   प्र. सू. रि. सं. ....13/26.......... दिनांक ......12/01/2026..........................
2. (अ) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें 7 (सी),12,13(1) (ए),सपठित 13(2)....
   (ब) अधिनियम ... 120 बी भादस....................धारायें...
   (स) अधिनियम..............................धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3.(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ...199.......समय.......9.40 PM...
   (ब) अपराध घटने का दिन-दि.- वर्ष 2019 से वर्ष 19-03-2024 तक...... समय .... अज्ञात.......................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक-19-03-2024 ..... समय .... 12-00 PM.............
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :- भागल धोमेट पहाड़ी खनन क्षेत्र जिला डीग ।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी -पूर्व , दिशा उत्तर - पश्चिम दूरी करीब 80 किलोमीटर...
   (ब) पता - ....बीट संख्या ......अगवमंडहीन.........................
   (स) यदि उस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.....................
6.परिवादी/सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम श्री अमित सिंह अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी भरतपुर
   (ब) पिता /पति का नाम ....जाति .....(स) जन्म तिथि 13.01.1989 वर्ष .35 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....मोबाईल नं.- ....
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथी...........जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता.... गांव धौरमुई पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

01.श्री रामनिवास मंगल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति वैश्य उम्र 58 साल निवासी घण्टाघर के पास,बाड़ी,जिला धौलपुर तत्कालीन खनिज अभियंता भरतपुर हाल खनिज अभियंता कोटा।

02.श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम उमरी पोस्ट मौहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी(उत्तर प्रदेश) तत्कालीन खनिज कार्यदेशक-द्वितीय।

03.श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भरतराम जाति जाट उम्र 61 साल निवासी ग्राम महापालवास पोस्ट महापालवास थाना चोखोद जिला झुन्झुनू तत्कालीन खनिज अभियंता हाल सेवानिवृत्त दिनांक 30.06.2024,

04. श्री संजू सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी बुधवारी पोस्ट रारह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर तत्कालीन सर्वेयर

05. श्री भीम सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम रेला पोस्ट अकबा तहसील कठूमर जिला अलवर तत्कालीन कार्यदेशक-प्रथम

06.लीज मालिक श्री अभिषेक तंवर .

07. क्रेशर मालिक जेपी एण्ड ब्रॉस ,

08. श्री पारस इन्फ्रा

09. सीडीएस इन्फ्रा

10.श्री बालाजी एण्ड कम्पनी

11. शुभ लाभ स्टोन क्रेशर

12. मैसर्स देव इस्पात

13. अन्य

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-कोई नहीं.....................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियों (यदि आवश्यक होतो अतिरिक्त पत्रा लगावें) ....
   .... पद का दुरूपयोग व अवैध खनन अवैध वसूली राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)........... ....

[redacted]

[redacted]

-----------------पद का दुरूपयोग व अवैध खनन अवैध वसूली नाशि ....

11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला नं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं....................

12. विवरण वस्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...................

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि परिवादी श्री कैलाश जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन निवासी कुम्हारी मौहल्ला कस्बा कामा तहसील कामा जिला डीग की शिकायत यह है कि खनन पट्टा संख्या 299/02 एवं 300/02 खनन पट्टाधारी अभिषेक तंवर पुत्र ऋषिपाल तंवर निकट ग्राम धोलेट में स्थित है। इन दोनो खानों में पत्थर की किस्म खराब होने से करीब पांच साल से कोई भी खनन कार्य नहीं किया गया है इन सभी अधिकारियों को इस बात उक्त प्रकरण का अच्छी तरह से पता होने के बावजूद मासिक बन्दी लेकर रवन्ने जारी रखे। इन दोनो खानों से गत तीन-च्यार साल के अन्दर लगभग 15 लाख टन के रवन्नो को अवैध तरीके से जारी कर 10रू टन के हिसाब से एम.ई. सर्वेयर व फौरमैन की मिलीभगत से अवैध खनन माफियाओं को बेचा न किया गया है। इन खनन माफियाओं से खनन पट्टाधारी व एम.ई. सर्वेयर तथा फौरमैन ने एक करोड़ पचास लाख रूपयें के रवन्नो का बन्द पड़ी लीजों के रवन्ने जारी कर अवैध तरीके से खनन माफियाओं तथा क्रेशर मालिकों को बेचान किया गया है। उक्त खनन पट्टो में आज तक भी मौके पर कोई खनन कार्य चालु नही है। इन रवन्नों का अवैध खनन में इस्तेमाल कराकर सरकार को कई करोड़ रूपये के राजस्व की हानि एम.ई. सर्वेयर तथा फौरमैन तथा पट्टाधारी द्वारा पहुंचाई गई है। इस रवन्ने के घोटाले की पूर्व में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी उसमें भी आज तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा मेरी शिकायत के डर से ये तीनों अधिकारी अपने द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का खुलासा होने के डर से यहा से तबादला करवाकर अन्य स्थान पर चले गये हैं। उपरोक्त शिकायत संख्या एच 1085 दिनांक 06.06.2024 में 17 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) पूर्वानुमोदन का एसीबी मुख्यालय जयपुर द्वारा परीक्षण उपरान्त प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय आने पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय प्रेषित करने पर प्राथमिकी संख्या- 46/25 आरोपीगण के विरूद्व दर्ज कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया।

दौराने प्राथमिक जांच जरिये मोबाईल तलब करने पर परिवादी श्री कैलाश जैन उपस्थित कार्यालय आया एवं एक जांच रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय खनि अभियंता से प्रकरण से संबंधित आवश्यक रिकार्ड प्राप्त किया जाकर शामिल जॉच किया गया तो पाया गया कि दिनांक 22.03.2024 को निदेशालय कन्ट्रोल रूम उदयपुर के आदेश पर टीम गठित कर खनन पट्टा संख्या 299/02 व 300/02 की मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त दोनों पट्टे अभिषेक तंवर पुत्र ऋषिपाल तंवर के नाम पर है। जिसमें खनन पट्टा संख्या 299/02 में खनन पिट की गणना के हिसाब से कुल मात्रा 2,96,352 टन खनिज मैसनरी स्टोन का खनन होना पाया गया जबकि उक्त खनन पट्टे से 08 लाख टन खनिज मैसनरी स्टोन के रवन्ने जारी किये गये है। इस प्रकार उक्त खनन पट्टे से 5,03,648 टन खनिज मैसनरी स्टोन के रवन्नाओं का दुरूपयोग करना पाया गया है। कार्यालय खनि अभियंता से उक्त पट्टे का माईनिंग असेसमेन्ट वर्षवार मगवाया गया तो वर्ष 2006 से मार्च 2019 तक कुल 2,88,995 टन खनिज का खनन होना पाया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2019-20 में 57,152 टन खनिज निकाला जाना असेसमेन्ट के अनुसार बताया गया है। जो कि मौका रिपोर्ट के हिसाब से वास्तविकता में होना संभव नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024 तक जो असेसमेन्ट तैयार किये गये है वे रवन्ना दुरूपयोग के सामान्य आशय को ध्यान में रखते हुए किये गये है। उक्त समस्त असेसमेन्ट पर खनि. अभियंता रामनिवास मंगल व राधेश्याम गुप्ता कवल एओ के हस्ताक्षर है जो दिनांक 23.01.2024 को तैयार किये गये है। कार्यालय खनि अभियंता से ग्राम नांगल व धौलेट में पदस्थापित तकनीकी कार्मिको का विवरण मगवाया गया तो पाया गया कि 09 अप्रेल 2019 से कार्यवाही की दिनांक 22.03.2024 तक उक्त क्षेत्र में श्री जीतेन्द्र तंवर , भीम सिंह चौधरी ,वीरेन्द्र सिंह खनि कार्यदेशक पदस्थापित रहें है। कार्यालय के सरकारी वाहन आरजे 27 यूसी 0794 व आरजे 27 यूए 5772 की 11 अगस्त 2021 से 22.03.20204 तक की लॉगबुक का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त समस्त कार्मिकों का उक्त क्षेत्र में उक्त समयावधि में लगभग 55 बार आवागमन रहा हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त समस्त घटनाक्रम इनकी जानकारी में था और इन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का विलोप कर आपराधिक अविचार करते हुए लोक सेवक के रूप में सौपी गई खनिज सम्पदा, जो कि इनके नियंत्रण में थी, उसका बेईमानी पूर्वक अन्य व्यक्तियों से मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए सम्परिवर्तित होने दिया गया। उक्त अवैध खनन को वैध खनन दिखाकर रॉयल्टी वसूलने का कार्य रॉयल्टी ठेकेदार मैं0 देव दशरथ द्वारा किया गया है। उक्त खनन पट्टे से रवन्ने का दुरूपयोग नांगल व धौलेट के क्रेशरो/ व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन से निकाले गये खनिज को वैध दिखाकर उपयोग में लाया गया है.। जो निम्न है- जेपी एण्ड ब्रॉस , पारस इन्फ्रा, .सीडीएस इन्फ्रा, बालाजी एण्ड कम्पनी, शुभ लाभ स्टोन

इसी प्रकार खनन पट्टा संख्या 300/02 में खनन पिट की गणना के हिसाब से कुल मात्रा 3,14,825 टन खनिज मैसनरी स्टोन का खनन होना पाया गया है। जबकि उक्त खनन पट्टे से 05 लाख टन खनिज मैसनरी स्टोन के रवन्ने जारी किये गये है। इस प्रकार उक्त खनन पट्टा संख्या 300/02 में 1,85,175 टन खनिज मैसनरी स्टोन के रवन्नाओं का दुरूपयोग करना पाया गया है।

[redacted]

[redacted]

कार्यालय खनि अभियंता से उक्त पट्टे का माईनिंग असेसमेन्ट वर्षवार मगवाया गया तो वर्ष 2006 से वर्ष 2020 तक कुल 2,46,767 टन खनिज का खनन होना पाया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2020-21 में 1,00,211 टन खनिज निकाला जाना असेसमेन्ट के अनुसार बताया गया है। जो कि मौका रिपोर्ट के हिसाब से वास्तविकता में होना संभव नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024 तक जो असेसमेन्ट तैयार किये गये है वे रवन्ना दुरूपयोग के सामान्य आशय को ध्यान में रखते हुए किये गये है। उक्त समस्त असेसमेन्ट पर खनि. अभियंता रामनिवास मंगल व राधेश्याम गुप्ता कमल एओ के हस्ताक्षर है जो दिनांक 23.01.2024 को तैयार किये गये है। कार्यालय खनि अभियंता से ग्राम नांगल व धौसेट में पदस्थापित तकनीकी कार्मिको का विवरण मगवाया गया तो पाया गया कि अप्रेल 2020 से कार्यवाही की दिनांक 22.03.2024 तक उक्त क्षेत्र में श्री भीम सिंह चौधरी ,वीरेन्द्र सिंह खनि कार्यदेशक पदस्थापित रहें है।

कार्यालय के सरकारी वाहन आरजे 27 यूसी 0794 व आरजे 27 यूए 5772 की 11 अगस्त 2021 से 22.03.20204 तक की लॉगबुक का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त समस्त कार्मिकों का उक्त क्षेत्र में उक्त समयावधि में लगभग 55 बार आवागमन रहा हैं।

जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त समस्त घटनाक्रम इनकी जानकारी में था और इन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का विलोप कर आपराधिक अविचार करते हुए लोक सेवक के रूप में सौपी गई खनिज सम्पदा, जो कि इनके नियंत्रण में थी, उसका बेईमानी पूर्वक अन्य व्यक्तियों से मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए सम्परिवर्तित होने दिया गया।

उक्त अवैध खनन को वैध खनन दिखाकर रॉयल्टी वसूलने का कार्य रॉयल्टी ठेकेदार मै0 देव दशरथ द्वारा किया गया है।

उक्त खनन पट्टे से रवन्ने का दुरूपयोग क्रेसर मालिक जेपी एण्ड ब्रॉस क्रेसर द्वारा अवैध खनन से निकाले गये खनिज को वैध दिखाकर उपयोग में लाया गया है।

उक्त जॉच में श्री सन्नू सिंह सर्वेयर व श्री राजेन्द्र सिंह एमई का नाम अंकित होकर संबधित विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त है। श्री राजेन्द्र सिंह एमई का पदस्थापन 26.02.2024 से 30.06.2024 तक रहा है। खनन पट्टा संख्या 299/02 एवं 300/02 का मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2024 को तैयार की गई है।

कार्यालय खनिज अभियंता भरतपुर से प्राप्त रिकॉर्ड के मुताबिक श्री सन्नू सिंह सर्वेयर वर्ष 2019 से 2025 तक उक्त क्षेत्र में पदस्थापन नही रहा है परन्तु श्री सन्नू सिंह सर्वेयर के आरोपीगण वीरेन्द्र सिंह कार्यदेशक एवं रामनिवास मंगल एमई के साथ जाने के संबध में लॉगबुक में उल्लेख है। इसलिए उपरोक्त दोनो कार्मिक श्री सन्नू सिंह सर्वेयर व श्री राजेन्द्र सिंह एमई की आपसी मिलीभगत भी पाई गई है।

अतः अब तक की गई समस्त जॉच से पाया गया है कि आरोपीगण 01.श्री रामनिवास मंगल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति वैश्य उम्र 58 साल निवासी घण्टाघर के पास,बाड़ी,जिला धौलपुर तत्कालीन खनिज अभियंता भरतपुर हाल खनिज अभियंता कोटा। 02.श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम उमरी पोस्ट मौहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी(उत्तर प्रदेश) तत्कालीन खनिज कार्यदेशक-द्वितीय। 03.श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भरताराम जाति जाट उम्र 61 साल निवासी ग्राम महापालवास पोस्ट महापालवास वाया कोलोद जिला झुन्झुनू तत्कालीन खनिज अभियंता हाल सेवानिवृत दिनांक 30.06.2024, 04. श्री संनू सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी कुराबई पोस्ट राराह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर तत्कालीन सर्वेयर 05. श्री भीम सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम रेला पोस्ट अकबा तहसील कठूमर जिला अलवर तत्कालीन कार्यदेशक-प्रथम 06.लीज मालिक श्री अभिषेक तंवर 07. क्रेशर मालिक जेपी एण्ड ब्रॉस ,08. श्री पारस इन्फ्रा 09. सीडीएस इन्फ्रा-10.श्री बालाजी एण्ड कम्पनी 11. शुभ लाभ स्टोन क्रेसर 12. मैसर्स देव दशरथ व अन्य ने आपस में मिली भगत कर रवन्ना दुरूपयोग कर अवैध खनन को वैध खनन दिखाकर सरकार को राजस्व हानि कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त समस्त आरोपों की विस्तृत रूप से जॉच किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध धारा 7 (सी),12,13(1) (ए),सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(अमित सिंह)
अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्नीब्यू भरतपुर।

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी),12,13(1)(ए),सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 120बी भादंस, में आरोपीगण 1.श्री रामनिवास मंगल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति वैश्य उम्र 58 साल निवासी घण्टाघर के पास,बाडी,जिला धोलपुर तत्कालीन खनिज अभियंता भरतपुर हाल खनिज अभियंता कोटा, 2.श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम उमरी पोस्ट मौहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर जिला बॉरावंकी(उत्तर प्रदेश) तत्कालीन खनिज कार्यदेशक-द्वितीय, 3. श्री राजेन्द्र सिह पुत्र श्री भरताराम जाति जाट उम्र 61 साल निवासी ग्राम महापालवास पोस्ट महापालवास वाया जोखोद जिला झुन्झुनू तत्कालीन खनिज अभियंता हाल सेवानिवृत्त दिनांक 30.06. 2024, 4. श्री संजू सिंह पुत्र श्री पूरन सिह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी बुरावई पोस्ट रारह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर तत्कालीन सर्वेयर, 5. श्री भीम सिह पुत्र श्री मोती सिह जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम रेला पोस्ट अरूवा तहसील कठूमर जिला अलवर तत्कालीन कार्यदेशक-प्रथम, 6.लीज मालिक श्री अभिषेक तंवर, 7. क्रेशर मालिक जेपी एण्ड ब्रॉस, 8. श्री पारस इन्फ्रा, 9. सीडीएस इन्फ्रा, 10.श्री बालाजी एण्ड कम्पनी, 11. शुभ लाभ स्टोन क्रेसर, 12. मैसर्स देव दशरथ व अन्य के विरूद्ध घटित होना पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2026 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर को मनोनीत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

(पृथ्वेन्द्र सिंह राठौड)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 71-74 दिनांक 12.1.2026

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर रेंज।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।